(13)

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्वमण्डल ग्वालियर सर्किटकोर्ट टीकमगढ़

निगरानी प्रकरण क्र० R. 5209-सी/15

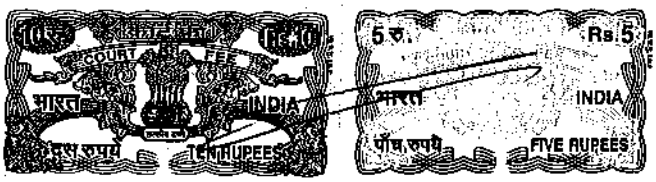

1- कन्हैयालाल साहू तनय लछमनधारी साहू

ग्राम सिरोलिया, तहसील व जिला सिरोलीम०प्र०

2- शेषमणि तनय रामजियावन साहू ग्राम चाचर तह०व जिला सिरोली

म०प्र०

3 दयाराम तनय सीताराम साकिन चाचर तहसील व जिला सिरोली म०प्र०

4- रामरूप तनय सिलक्खारी साहू साकिन सेमरिया, तह० व जिला

सिरोली म०प्र०

5- रामकया तनय शोभलाल साकिन चाचर, तह० व जिला सिरोलीम०प्र०

श्री ... एड. द्वारा आज दिनांक 7-12-15 को प्रस्तुत किया गया।

सीडर
सर्किट कोर्ट टीका

---- आवेदकगण/निगराकार

विरुद्ध

रामजतन कोल तनय जगन कोल

2- रामदुलारे कोल तनय जगन कोल निवासीगण ग्राम सेमरिया तह०व

जिला सिरोलीम०प्र० ---------- अभि०/अनिगराकारगण

निगरानी विरुद्ध आदेश क्रम० सिरोली

दिनांक 12-10-15 बाबतप्रकरण क्र०

34 अपील 11-12

अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भूराजस्व संहिता

मान्यवर, निगरानीके आधार निम्नलिखित है:-

1- यहकि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवम प्रक्रिया के विपरीत है,

2- यहकि भूमिस० 274, 279, 282, स्थित ग्रामसेमरिया, तहसील सिरोली

XX-(a)-A-89
Rev.-Hindi

राजस्व आदेश अनुवृत्ति-पत्र

R 5209-दो/15 सिंगरौली

मामला क्रमांक

(1)	(2)	(3)
2·3·16	मैंने प्रकरण में अविदक पक्ष के विद्वान अभिभाषक की ग्राह्यता पर तर्क सुने और नस्ती का परिशीलन किया । प्रकरण अनुसूचित जनजाति के पक्षकारों की भूमि के गैर-अनु. जनजाति के व्यक्तियों को अन्तरण से संबंधित है । वर्ष 1953 की अन्तरण के संबंध में कच्ची टीप के आधार पर विक्रय विलेख का पंजीयन संहिता (MPLRC) के प्रभावी होने के बाद हुआ, तथा तदुपरान्त अन्य उत्तरवर्ती अन्तरण भी हुए । कलेक्टर ने आक्षेपित आदेश से संहिता की धारा 165(6) तथा 170 (ख) का आधार लेते हुए अन्तरण निरस्त करते हुए भूमि अनु. जनजाति के भूधारियों के हित में शरीजाना सही माना है । चूंकि विक्रय विलेख का पंजीयन संहिता के प्रभावी होने के बाद हुआ है, अतः कलेक्टर द्वारा संहिता की धारा 165(6) एवं 170(ख) का उल्लंघन मानते हुए, जो भूमि के अन्तरण के संव्यवहार को खोलते हुए आदेश के माध्यम	

R 5209 – II/15 निगरानी

(1)	(2)	(3)
	से गलत बताया है, इसमें कोई गलती प्रतीत नहीं होती। फलस्वरूप कलेक्टर के अपेक्षित आदेश दि. 12-10-15 में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।	
	अतः यह निगरानी इसी प्रक्रम पर अग्राह्य कर खारिज की जाती है।	
	आदेश पारित।	
	पक्षकार सूचित हों।	
	प्रकरण समाप्त । दा. द. हो।	
M	(सदस्य)	

उनिशाक्षेमुरी–137–29–9–14–फासे–1,00,000 प्रपत्र.